बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo 9/सा0आ0–114/2003 /स्वा0, पटना, दिनांक /स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0 651(18) दिनांक 11.06.93 के द्वारा डा0 रामाश्रय सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, भैरवार, बेगूसराय, सम्प्रति–ऐच्छिक सेवानिवृत चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया के विरूद्ध अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने तथा मरीजों के बीच तिथिबाद दवाओं का वितरण करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम पर सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0 527(2) दिनांक 15.04.2002 द्वारा डा0 रामाश्रय सिंह को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड दिया गयाः–

(क) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कुछ भी देय नहीं होगा ।

(ख) संचयात्मक प्रभाव से 5(पॉच) वेतनवृद्धि यों पर रोक ।

2. उपर्युक्त दंड के विरूद्ध डा0 रामाश्रय सिंह के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 9899/2002 दायर किया गया । माननीय पटना उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त वाद में अपने न्यायादेश दिनांक 16.09.2010 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0 527(2) दिनांक 15.04.2002 को निरस्त करने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 46(9) दिनांक 10.01.12 द्वारा स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0 527(2) दिनांक 15.04.2002 को निरस्त करते हुए विभागीय पत्रांक 198(9) दिनांक 31.1.12 द्वारा डा0 सिंह से अलग से कारण पृच्छा की मांग की गई विभागीय संकल्प संख्या 1404(9) दिनांक 28.12.12 द्वारा डा0 सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) में सम्परिवर्तित किया गया । डा0 सिंह द्वारा कारण पृच्छा दिनांक 25.5.12 को समर्पित किया गया जिसकी सम्यक समीक्षोपरांत डा0 रामाश्रय सिंह तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, भैरवार, बेगुसराय (सम्प्रति ऐच्छिक सेवानिवृत) को आरोप मुक्त करते हुए विभगीय कार्यवाही का निष्पादन किया गया तथा डा0 सिंह को आरोप मुक्त किया गया।

तदालोक में डा0 रामाश्रय प्रसाद सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैरवार, बेगूसराय संप्रति ऐच्छिक सेवानिवृतको उनके निलंबन अवधि (05.11.1992 से 14.04.2002 के लिए पूर्ण वेतन भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, बशर्ते कि उनके द्वारा अपनी निलंबन अवधि के दौरान निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज की गई हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 562(9) /स्वा0, पटना, दिनांक : 01/7/2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार,(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0), विभाग, पंत भवन, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी सचिवालय मुद्रणालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ डा0 रामाश्रय सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, मैरवार, बेगूसराय, सम्प्रति–ऐच्छिक सेवानिवृत चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया, वर्तमान पता–वीणा नर्सिंग होम, अशोकनगर, पोखरिया, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय , प्रशाखा–2,3,5,7,9,10,11 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-2012\S.K\Notification\Notification-01.12.2011.doc